GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

THE HIMACHAL PRADESH

RIGHT TO INFORMATION RULES, 2006

(As Amended upto November, 2009)

In association

with

H.P. Administrative Reforms and Training Department

H.P. Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla-171012

Printed under the Project Strengthening Capacity Building and Awareness
Generation for effective implementation of the RTI Act
(Centrally Sponsored Scheme)

(परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रुप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है।)[1]

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक के मामले के सिवाय, आवेदन तभी स्वीकृत किया जाएगा यदि वह नियम–5 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस के संदाय के समर्थन में (सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफट या)[2] चालान (या भारतीय पोस्टल आर्डर)[3] सहित संलग्न होगा। प्रत्येक विषय और प्रत्येक वर्ष जिससे सूचना सम्बन्धित है, की बावत पृथक आवेदन किया जाएगा।

(3) जब मांगी गई सूचना तैयार हो और यदि कोई अतिरिक्त फीस का संदाय अपेक्षित हो, तो जन सूचना अधिकारी (*****)[4] आवेदन पर दिए गए पते पर आवेदक द्वारा संदत की जाने वाली अतिरिक्त फीस प्ररूप 'अ' में विनिर्दिष्ट करते हुए, तथ्य से सूचित करेगा। भेजी जाने वाली सूचना की विशिष्टियां आवेदन रजिस्टर के भाग–2 में अंकित की जाएगी।

(4) जब सूचना तैयार हो जाए तो, जन सूचना अधिकारी (*****)[5] आवेदक को प्ररूप 'इ' में सूचना देगा।

(5) उप–नियम (4) के अधीन दी गई कोई भी सूचना कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध भाषा में होगी।

4. **अभिलेख का निरीक्षण.**— (।) कोई व्यक्ति जो धारा–4 के अधीन आवेदन करने से पहले अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो वह जिस प्रयोजन के लिए अभिलेख का निरीक्षण किया जाना है को उपदर्शित करते हुए, प्ररूप 'इ' में आवेदन करेगा :

(परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रुप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है।)[6]

---

1 नियम 3 के उप नियम (1) के पश्चात परन्तुक " परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रुप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है" अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

2 नियम 3 (2) में "सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफट शब्द अधिसूचना संख्या : पी.ई.आर. (ए. आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1. दिनांक 24.05.2006 द्वारा अन्तःस्थापित किए गए।

3 नियम 3 (2) में "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा अन्तःस्थापित किए गए।

4 नियम 3 (3) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।

5 यथोपरि (4)

6 नियम 4 के उप नियम (1) के पश्चात परन्तुक "परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रुप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है" अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(2) जन सूचना अधिकारी (*****)[1] द्वारा परिशिष्ट–।। में दिये गए प्ररूप में एक निरीक्षण रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा और उसमें आवेदन तथा निरीक्षण सम्बन्धी ब्यौरों का अभिलेख रखा जाएगा।

(3) निरीक्षण के दौरान आवेदक किसी अभिलेख / दस्तावेज की कोई फोटो इत्यादि नहीं लेगा।

4. यदि अधिनियम की धारा 8 व 9 के अधीन अभिलेख का निरीक्षण अस्वीकार किये जाने के सिवाए जन सूचना अधिकारी (*****)[2] नियम–5 में विहित अपेक्षित फीस के संदाय पर निरीक्षण की अनुमति देगा।

5. **फीस प्रभार.**— (।) राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, जन सूचना अधिकारी (*****)[3] निम्नलिखित दरों प्रर सूचना प्रदान करने हेतू फीस लेगा, अर्थात :—

सूचना का विवरण	मूल्य / फीस रूपये में
1. आवेदन सहित फीस	10 रूपये प्रति आवेदन
2. जहां सूचना प्रकाशन मूल्य रूप में उपलब्ध है	मुद्रित मूल्य पर
3. प्रकाशित मूल्य से अन्यथा के लिए	ए–4 आकार या उससे छोटे पृष्ठ के लिए (2)[4] रूपये प्रति पृष्ठ और बड़े आकार के पृष्ठ के लिए वास्तविक मूल्य न्यूनतम 20 रूपये के अध्यधीन ।
4. जहां सूचना ईलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध है और ईलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में दी जानी है जैसे फलौपी व सीडी इत्यादि	50 रू0 प्रति फलौपी व 100 रू0 प्रति सीडी।
5. अभिलेख / दस्तावेज के निरीक्षण के लिए फीस	(30)[5] मिनट या उसके भाग के लिए (20)[6] रू0

1 नियम 4 (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2 / 98–वोल–1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।
2 यथोपरि (1)
3 यथोपरि (1)
4 नियम 5 (1) की मद संख्याः 3 में अंक " 2" अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2 / 98–वोल–1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
5 नियम 5 (1) की मद संख्याः 5 में अंक " 30" अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2 / 98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
6 नियम 5 (1) की मद संख्याः 5 में अंक " 20" अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2 / 98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) दी जाने वाली सूचना का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक का नाम देते हुए (गरीबी रेखा से नीचे की हैसियत सहित) सम्यक रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए, और उस पर सूचना देने वाले सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी (*****)[1] के तारीख सहित हस्ताक्षर एवम मुद्रा होनी चाहिए।

(3) फीस/प्रभार राजकीय कोष में "0070– ओ0ए0एस0 ,60– ओ0एस0, 800–ओ0आर0,11–सूचना का अधिकार, अधिनियम–2005 के अधीन रसीद मुख्य शीर्ष में जमा किए जाएंगे । इस शीर्ष में प्रोदभवन, अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान के रूप में पृथक निधि में रखा जायेगा जिसके अन्तर्गत उपकरणों और खपने वाली वस्तु का क्रय, कर्मचारियों को प्रशिक्षण का उपबन्ध करना इत्यादि सम्मिलित है।

6. **अपील प्राधिकारियों के समक्ष अपील की प्रकिया:**–(1). अपील की विषय वस्तुः–अपीलीप्राधिकारी/आयोग को अपील के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात:–—

(i) अपीलार्थी का नाम व पता ;

(ii) जन–सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की गई है;

(iii) संख्या सहित आदेश की विशिष्टियां यदि कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गई है;

(iv) अपील मे जाने के लिए संक्षिप्त तथ्य;

(v) यदि अपील नामंजूर समझे जाने के विरूद्ध दायर की गई है तो संख्या और तारीख सहित आवेदन की विशिष्टियां और जनसूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन किया गया था ;

(vi) मांगा गया अनुतोष या प्रार्थना ;

(vii) अनुतोष या प्रार्थना हेतु आधार ;

(viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन ; और

(ix) अन्य कोई सूचना जो आयोग अपील विनिश्चित करने हेतू आवश्यक समझें।

---

1 नियम 5 (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किया गया।

(2) अपीलार्थी अपील के ज्ञापन की (दो)[1] प्रतियां कार्यालय प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(3) अपील प्राधिकारी/आयोग को की गई प्रत्येक अपील निम्नलिखित दस्तावेजों सहित होनी चाहिए,– अर्थात :–

(i) आदेशों या दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जिसके विरूद्ध अपील दायर की जानी है ;

(ii) (*****)[2]

{(ii)}[3] अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट किये गये विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां; और

{(iii)}[4] अपील में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

(4) जब अपील प्राधिकारी/आयोग अभिलेख की मांग करेगा वह किसी भी दशा में 10 दिनों के भीतर यदि अपेक्षित हो तो अभिलेख की एक अधिप्रमाणित प्रति रखते हुए, मूल अभिलेख वापस कर देगा।

(5) सुनवाई की तारीख पर या अन्य किसी दिन, जिसको सुनवाई स्थगित की गई थी, पक्षकार अपील प्राधिकारी/आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यदि अपीलार्थी ऐसी तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी/आयोग स्वविवेकानुसार या तो अपील खारिज कर देगा या गुणागुण आधार पर एकपक्षीय विनिश्चय देगा।

(6) अपील प्राधिकारी/आयोग की अनुमति के सिवाय, अपीलार्थी किन्हीं आक्षेपों के आधार के समर्थन में जो कि ज्ञापन में नहीं दिया गया है, को न तो बताएगा और न ही सुना जाएगा, परन्तु अपील प्राधिकारी/आयोग को अपील का विनिश्चिय करते समय स्वयं को ज्ञापन मे दिए गए आक्षेपों के आधार तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट से अन्यथा किसी आधार पर नहीं होगा, जब तक कि इससे प्रभावित होने वाले पक्षकार को अपील प्राधिकारी/आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

(7) आयोग अपनी दिन–प्रतिदिन की कार्यावाहियों की बावत अपने विनियम बना सकेगा।

---

1 नियम 6 (2) में "दो" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2 नियम 6 (3) में खण्ड (ii) "विहित फीस के संदाय के प्रमाण हेतू चालान" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए आर) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा लोप किए गए।

3 नियम 6 (3) में खण्ड (iii) और खण्ड (iv) को खण्ड (ii) और खण्ड (iii) के रुप में अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर.(ए आर) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा पुनः संख्याकित किया गया।

4 यथोपरि (3)

[प्ररूप–'अ'
{नियम–3 (1) देखें},
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन ।)[1]

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी,
(उस विभाग का नाम जिससे सूचना वांछित है)

(क) सूचना की विषयवस्तु
(ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है मास और वर्ष
(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण
(घ) नस्ति संख्या यदि उपलब्ध हो
(ङ.) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का होने की बाबत छूट का दावा करता है, यदि हां, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
(च) मांगदेय ड्राफट या चालान (या भारतीय पोस्टल आर्डर,)[2] राशि और तारीख की विशिष्टयां।

आवेदक,
नाम...
पता...
दूरभाष संख्या.......................................

....

अभिस्वीकृति

आपका...तारीख को किया गया आवेदन मुबलिक रुपये..................................के मांगदेय ड्राफट/चालान (/भारतीय पोस्टल आर्डर)[3] सहित दैनिंदनी संख्या........................तारीख .... द्वारा प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर
जनसूचना अधिकारी।
सहायक जनसूचना अधिकारी।
विभाग/लोक प्रधिकारी का नाम][4]

---

1 नियम 3 (1) तथा नियम 4 (1) के पश्चात अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा शर्त " परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रुप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है " अन्तःस्थापित की गई है।

2 प्ररुप 'अ' मे " या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.)एफ (7)–2/98–वोल–1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा जोड़े गए।

3 यथोपरि (2)

4 प्ररुप 'अ' अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 24.03.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<u>प्ररूप– 'आ'</u>

{नियम 3(3) देखें}

प्रेषक

जन सूचना अधिकारी (*****)[1] का पदनाम
{विभाग...}

प्रेषित,

आवेदक का नाम और पता

सन्दर्भः आवेदन संख्या...तारीखः ....

विषयः– ....

महोदय,

कृपया उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन तारीख..............का अवलोकन करें। आप द्वारा अपेक्षित सूचना.............पृष्ठ की है और मुद्रित प्रकाशन की लागत.....................रूपये है। इस सूचना को आप तक पहुंचाने की अतिरिक्त फीस..................रूपये है। यदि आप वांछित सूचना डाक द्वारा चाहते हैं तो आपको............................रूपये की अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी।

[2. आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग / लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफट द्वारा संदत करनी या इसे चालान (या भारतीय पोस्टल आर्डर)[2] द्वारा जमा करवाना और उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना अपेक्षित हैं।][3]

3. यदि उदगृहीत अतिरिक्त फीस की राशि से आपका समाधान नहीं होता है तो आपको 30 दिन के भीतर अपील करने का अधिकार होगा।

जन सूचना अधिकारी (*****)[4]
दूरभाष संख्या...

प्ररुप 'आ' में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।

प्ररुप 'आ' में "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा जोड़े गए।

प्ररुप 'आ' का पैरा–2 " आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग/ लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफट द्वारा संदत करनी या इसे चालान द्वारा जमा करवाना और उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना अपेक्षित है " अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 24.05.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

प्ररुप 'आ' में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।

प्ररूप– 'इ'

{नियम 3 (3) और 6(i) देखें}

प्रेषक

जन सूचना अधिकारी (*****)[1] का पदनाम
{विभाग...}

प्रेषित

आवेदक का नाम और पता

सन्दर्भः आवेदन संख्या..................तारीख...................

विषयः– ....

महोदय,

कृपया आपके आवेदन तारीख ....के सन्दर्भ में अवलोकन करें।

2. आप द्वारा अपेक्षित सूचना तैयार है। आपको अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सप्ताह के किसी भी कार्य–दिवस पर अपराहन 12.00 से 3.30 बजे तक सूचना प्राप्त करने का निदेश दिया जाता है।

जन सूचना अधिकारी (*****)[2]
दूरभाष संख्या..

1 प्ररुप 'इ' में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।

2 यथोपरि (1)

प्ररूप 'ई'

{नियम–4 (1) देखें.}

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निरीक्षण के लिये आवेदन।)[1]

प्रेषित

जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी
(उस विभाग का नाम जहां पर निरीक्षण करना चाहते हैं)

(क) सूचना की विषयवस्तु

(ख) अवधि, जिससे सूचना सम्बन्धित हो। मास और वर्ष

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण

(घ) नस्ति संख्या (यदि उपलब्ध हो)

(ङ) क्या आवेदक छूट का दावा करता है, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित है यदि हां तो उसका प्रमाण संलग्न करें।

[{(च) मांगदेय ड्राफट या चालान}[2] या भारतीय पोस्टल आर्डर की {संख्या,रकम और तारीख की विशिष्टयां।}[3]][4]

आवेदक,
नाम.......................................
पता.......................................
दूरभाष संख्या.......................................

1 नियम 3 (1) तथा नियम 4 (1) के पश्चात अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा शर्त " परन्तु यह कि आवेदक द्वारा लिखित रुप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है" अन्तः स्थापित की गई है।

2 प्ररुप 'ई' के स्तम्भ (च) में "मांगदेय ड्राफट या चालान संख्या रकम और तारीख की विशिष्टियां " शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 24.05 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

3 यथोपरि (2)

4 प्ररुप 'ई' के स्तम्भ (च) में "मांगदेय ड्राफट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या रकम और तारीख की विशिष्टियां" "शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 08. 01.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

परिशिष्ट–।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन रजिस्टर

भाग–1

क्र.सं.	आवेदक का नाम व डाक का पूरा पता	क्या गरीबी रेखा से नीचे का है	आवेदन प्राप्त करने की तारीख	प्रयोगिक तारीख जिसको अभिलेख तैयार होगा	ढ़ंग जिसके द्वारा सूचना भेजी जानी है	[(मांगदेय ड्राफट या चालान)[1] या भारतीय पोस्टल आर्डर की (संख्या.)[2] रकम (और तारीख)[3]][4]	जन सूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

भाग–2

जब सूचना तैयार होगी वास्तविक तारीख	वास्तविक पृष्ठों की संख्या	अतिरिक्त फीस की राशि	यदि सूचना व्यक्तिगत रुप से दी गई है, तो प्रमाणस्वरुप तारीख सहित आवेदक के हस्ताक्षर या यदि सूचना डाक द्वारा भेजी गई है उसकी विशिष्टयां और तारीख	जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर
9	10	11	12	13

1 परिशिष्ट–1 के भाग–1 स्तम्भ–7 में " मांगदेय ड्राफट या चालान संख्या और तारीख " शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई. आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 24.05.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

2 यथोपरि (1)

3 यथोपरि (1)

4 परिशिष्ट–1 के भाग–1 स्तम्भ–7 में " मांगदेय ड्राफट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या रकम और तारीख " शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

परिशिष्ट–II

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निरीक्षण रजिस्टर

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पुरा डाक पता	क्या गरीबी रेखा से नीचे का है	सूचना की विषय वस्तु	निरीक्षण किये जाने वाले अभिलेख की विशिष्टियां	लिया गया समय से...... तक	प्रभारित फीस की रकम	आवेदक के हस्ताक्षर	[(जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफट या चालान)[1] या भारतीय पोस्टल आर्डर (की विशिष्टिया)[2]][3]	जसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 परिशिष्ट–II में स्तम्भ–9 के स्थान पर "जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफट या चालान की विशिष्टियां "शब्द अधिसूचना संख्याः पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 24.05.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

2 यथोपरि (1)

3 परिशिष्ट– II में स्तम्भ–9 के स्थान पर " जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की विशिष्टियां " शब्द अधिसूचना संख्याः पी. ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)–2/98–वोल–1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला–2 24 मई, 2006

संख्याःपी0ई0आर0(ए0आर0)एफ(7)–2/98–वोल0–1.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप–धारा(2) द्वारा प्रद्धत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **नियम 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3 के उप–नियम (2) में शब्द "चालान" से पूर्व "सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफ्ट या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

3. **नियम 6 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 6 के उप–नियम (3) के, खण्ड (ii) में शब्द "चालान" से पूर्व "मांगदेय ड्राफ्ट या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

4. **प्ररूप "अ" प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–अ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

प्ररूप– "अ"
(नियम–3 (i) देखें)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन ।

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी / सहायक जन–सूचना अधिकारी
(उस विभाग का नाम जिसमें सूचना वांछित हैं)

(क) सूचना की विषय वस्तु ....
....

(ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित हैं
मास और वर्ष
....

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण ।

(घ) नस्ति संख्या यदि उपलब्ध हो ।

(ङ) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होने की बावत छूट का दावा करता हैं, यदि हॉं, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या, राशि और तारीख की विशिष्टयाँ ।

आवेदक

नाम..

पता..

दूरभाष संख्या...............................

. . . .

अभिस्वीकृति

आपका..........तारीख को किया आवेदन मुबलिक रूपये....................के मांगदेय ड्राफ्ट / चालान संख्या..............................सहित दैनिदनी संख्या.....................तारीख.....................द्वारा प्राप्त हुआ ।

(हस्ताक्षर)
जन–सूचना अधिकारी।
सहायक जन–सूचना अधिकारी
विभाग / लोक प्रधिकारी का नाम"

5. **प्ररूप "आ" का संशोधन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "आ" के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग/लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदत करनी या इसे चालान द्वारा जमा करवाना और उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना अपेक्षित है।

6. **प्ररूप ई का संशोधन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ई के स्तम्भ (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या, रकम और तारीख की विशिष्टियाँ"।

7. **परिशिष्ट–I का संशोधन.**—उक्त नियमों के परिशिष्ट–1 के भाग–1 में स्तम्भ–7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या और तारीख" ।

8. **परिशिष्ट–II का संशोधन.**—उक्त नियमों के परिशिष्ट–II में स्तम्भ 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(9) जन–सूचना अधिकारी/सहायक जन–सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान की विशिष्टियाँ"।"

आदेश द्वारा,

एस0 विजय कुमार,
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला–2, जनवरी 8, 2007

संख्याः पी.ई.आर.(ए.आर.)एफ.(7).2/98–वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (द्वितीय संशोधन)नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 3 के उप–नियम (2) में शब्द "चालान" के पश्चात "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

3. **नियम 6 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 6 के उप–नियम (3) के खण्ड (ii) में शब्द "चालान" के पश्चात "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

4. **प्ररूप "अ" का संशोधन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "अ" में

(क) खण्ड (च) में शब्द चालान के पश्चात या भारतीय पोस्टल आर्डर शब्द जोडे जाएंगे; और

(ख) प्ररूप 'अ' के नीचे अभिस्वीकृति में शब्द "चालान" के पश्चात "/भारतीय पोस्टल ऑर्डर" चिन्ह और शब्द जोड़े जाएंगे।

5. **प्ररूप "आ" का संशोधन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "आ" के पैरा 2 में, शब्द "चालान" के पश्चात "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द जोड़े जाएंगे।

6. प्ररूप "ई" का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'इ' के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की संख्या, रकम और तारीख की विशिष्टियां।"

7. परिशिष्ट–I का संशोधन.—उक्त नियमों के परिशिष्ट–I के भाग–1 में स्तम्भ 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की संख्या, रकम और तारीख।"

8. परिशिष्ट–II का संशोधन.—उक्त नियमों के परिशिष्ट II में स्तम्भ 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः—

"जन–सूचना अधिकारी/सहायक जन–सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की विशिष्टियां।"

आदेश द्वारा,

एस. विजय कुमार,
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला–2 31 दिसम्बर, 2007

संख्याः पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ.(7)–2/98–वॉल–I.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पर .(ए.आर.) एफ.(7)–2/98–वॉल–1, तारीख 21 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–2–.2006 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (तृतीय संशोधन) नियम, 2007 है।

2. **नियम 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा,

"परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है"।

3. **नियम 4 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 4 के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हों तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है।"

4. **नियम 5 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम(1) में मद सं. 5 में अंक "10" व "15" के स्थान पर अंक कमशः "20" व "30" रखा जाएगा।

5. नियम 6 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 6 में,

(i) उप नियम (2) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द ""दो" रखा जाएगा, और

(ii) उप नियम (3) में खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा और विद्यमान खण्डों (iii) और (iv) को कमशः खण्ड (ii) और (iii) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा "।

आदेश द्वारा,
एस.विजय कुमार
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला–2 22 अक्तूबर , 2008

संख्याः पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ.(7)–2/98–वॉल–I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पर .(ए.आर.) एफ.(7)–2/98–वॉल–1, तारीख 21 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–2–.2006 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2008 है।

(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.**— हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम,2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में:—

(i) उप नियम (3) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) उप नियम (4) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. **नियम 4 का संशोधन.**— उक्त नियमों के नियम 4 में.—

(i) उप नियम (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) उप नियम (4) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. **नियम 5 का संशोधनः–** उक्त नियमों के नियम 5 में :—

(i) उप नियम (1) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उप नियम (1) में मद संख्या 3 में अंक **"10"** के स्थान पर अंक **"2"** रखा जाएगा; और

(iii) उप नियम (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. **प्ररुप "आ" का संशोधन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप "आ" में "सहायक जन सूचना अधिकारी" जहां–जहां वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. **प्ररुप "इ" का संशोधन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप "इ" में "सहायक जन सूचना अधिकारी" जहां–जहां वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा

टी.जी. नेगी
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।